न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 111/2019 **RCMS 2019/00196**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल मोर जाति अग्रवाल निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 04-02-2020

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम पनवाड़ी पटवार मण्डल रूपपुरा तहसल कुचामनरसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 294 रकबा 1.52 हैक्टर राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादी की खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है, प्रतिवादी ने उक्त कृषि भूमि में से 1.52 हैक्टर भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आवासीय कॉलोनी भू–खण्ड काटकर कृषि भूमि में (मुटाम/छोटे पिल्लर लगाकर) अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना भू.अ.नि. कुचामनसिटी द्वारा दिनॉक 23.12.2019 की रिपोर्ट से प्राप्त हुई है कि प्रतिवादी ओमप्रकाश मोर ने उपरोक्त उल्लेखित कृषि भूमि को बिना विहित अधिकारी की अनुमति के अकृषि में परिवर्तित कर लिया है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकारी नही है, बिनाय दावा दिनांक 23.12.2019 को वादी के पास भ[illegible]क कुचामनसिटी की सूचना दिनॉक 23.12.2019 को प्राप्त हो[illegible] प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अ[illegible]में परिवर्तित कर दिया है अतः ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 294 रकबा 1.5[illegible] हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय को श्री ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल मोर जाति अग्रवाल निवासी कुचामनसिटी की खातेदारी भूमि को राजकीय दर्ज कर वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:16:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 294 की भूमि वर्तमान में कृषि भूमि ही है, प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि का अकृषि उपयोग नही किया जा रहा है, उपरोक्त भूमि में काफी कंटीली झाड़िया उगी हुई थी जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता कमजोर होने से उसको साफ करवाई गई थी, प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार के भू–खण्ड नही काटे है तथा न ही कोई मुटाम/पिलर लगाये है, वादी ने मात्र सम्भावनाओं के आधार पर यह वाद–पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है, जबकि प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धार 177 के प्रावधानों का कतई उल्लंघन नही किया है, जब प्रतिवादी ने उक्त भूमि को अकृषि उपयोग में नही लिया गया है तब अनुमति लेने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि भूमि में कंटीली झाड़ियो की साफ–सफाई करवाई थी, अतः वाद खारिज फरमाया जावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी राज पैराकार तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–2079 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 293 294 419/294 कुल रकबा 2.43 हैक्टर की प्रस्तुत की तथा नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है। प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है।

वाद धारा 177 अन्तर्गत होने से सरसरी जांच पर्याप्त है, प्रकरण में तनकियात की आवश्यकता नही होने से उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–2079 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 293 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गै.मु.मकान, खसरा नम्बर 294 रकबा 1.52 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नमबर 419/294 रकबा 0.90 हैक्टर बारानी द्वितीय कुल रकबा 2.43 हैक्टर में ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल मोर जाति अग्रवाल सा. कुचामनसिटी खातेदार दर्ज है। राज पैराकार ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराया है तथा प्रतिवादी ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया गया है। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बताया है कि बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आवासीय कॉलोनी भूखण्ड काटकर कृषि भूमि में मुटाम/छोटे पिल्लर लगाकर अकृषि उपयोग कर लिया है। जबकि प्रतिवादी ने कथन किया है कि उपरोक्त भूमि में कंटीली झाड़ियो की साफ–सफाई करवाई थी। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा कृषि भूमि को अकृषि कार्य में लिये जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य या फोटोग्राफ इत्यादि प्रस्तुत नही किये है, उक्त भूमि की मौके पर उर्वरक क्षमता कमजोर होने से साफ सफाई करवाई गई है तथा उक्त भूमि में बरसात के समय ही यदा कदा कृषि की जाती रही है। उपरोक्त भूमि का स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका देखा गया, मौके पर भूमि खाली है तथा किसी प्रकार के पिल्लर इत्यादि वर्तमान में नही है तथा भूमि में कंटीली झाड़ियॉ काटी जाकर उक्त भूमि एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:16:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

निश्चित स्थान पर एकत्रित पाई गई। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र साबित होना नही पाया गया।

आदेश

वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 04-02-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:16:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 111/2019 **RCMS 2019/00196**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल मोर जाति अग्रवाल निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री तहसीलदार कुचामनसिटी हाजिरी ..... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादी साबित नही होने स खारिज किया जाता है।**

निज ..... मुबलिग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04 माह 02 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:16:06 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.02.27 12:46:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: